T.A. 657/2026 & 671/2026
Irshad Vs. U.P. State & Shaukeen Vs. U.P.State.
J.O. Code-U.P.6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित : श्री अरविन्द कुमार मिश्रा–II,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
(ID No. : UP 6030)

UPME010085572026

फौजदारी विविध वाद (स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र) सं० 657 सन 2026

इरशाद बनाम उ०प्र०सरकार।

एवं

UPME010087592026

फौजदारी विविध वाद (स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र) सं० 671 सन 2026

शौकीन बनाम उ०प्र०सरकार।

दिनांक 22.07.2026

1. आज पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

2. उपरोक्त दोनों स्थानांतरण प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० 250/2016 अंतर्गत धारा 452, 302, 506, 34 भा०दं०सं० थाना भावनपुर, जिला मेरठ से सम्बन्धित है। अतः सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों स्थानांतरण प्रार्थनापपत्र का निस्तारण संयुक्त रूप से किया जाता है।

3. उक्त दोनों स्थानांतरण प्रार्थनापत्रों में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या 629/2017 राज्य बनाम इरशाद मु०अ०सं० 250/2016 अंतर्गत धारा 302, 452, 506/34 भा०दं०सं० थाना भावनपुर, जिला मेरठ व सत्र परीक्षण संख्या 630/2017 मु०अ०सं० 67/2017 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम थाना भावनपुर, जिला मेरठ वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, मेरठ में विचाराधीन है। उक्त वादों से सम्बन्धित मुख्य वाद सत्र परीक्षण संख्या 1185/2016 मु०अ०सं० 250/2016 अंतर्गत धारा 302, 452, 506, 34 भा०दं०सं० थाना भावनपुर जिला मेरठ वर्तमान में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (CAW) मेरठ में विचाराधीन है, जिसमें 13 साक्षीगण को परीक्षित कराया जा चुका है। उक्त तीनों पत्रावलियाँ पूर्व में एक ही न्यायालय में थी। उनकी ओर से तीनों वादों को एक ही न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने की याचना की गयी है।

4. सम्बन्धित न्यायालय से स्थानांतरण प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में आख्या आहूत की गयी।

5. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, मेरठ द्वारा आख्या 6 ख व 7 ख प्रस्तुत की गयी और यह कथन किया गया है कि उक्त सत्र परीक्षण संख्या 629/2017 राज्य बनाम इरशाद मु०अ०सं० 250/2016 अंतर्गत धारा 302, 452, 506/34 भा०दं०सं० थाना भावनपुर, जिला मेरठ व सत्र परीक्षण संख्या 630/2017 मु०अ०सं० 67/2017 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम थाना भावनपुर, जिला मेरठ की पत्रावलियाँ उक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

6. मेरे द्वारा आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि सत्र परीक्षण संख्या 629/2017 राज्य बनाम इरशाद मु०अ०सं० 250/2016 अंतर्गत धारा 302, 452, 506/34

भा०दं०सं० थाना भावनपुर, जिला मेरठ व सत्र परीक्षण संख्या 630/2017 मु०अ०सं० 67/2017 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम थाना भावनपुर, जिला मेरठ वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, मेरठ में विचाराधीन है। सत्र परीक्षण संख्या 1185,1186, 1187/2016 सरकार बनाम आसिफ व अन्य मु०अ०सं० 250/2016 अंतर्गत धारा 302,452,506,120B भा०दं०सं० थाना भावनपुर जिला मेरठ न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (CAW), मेरठ में विचाराधीन है, जिसमें अभियोजन के 13 साक्षी परीक्षित किये जा चुके है।

8. चूँकि उपरोक्त सभी प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 250/2016 थाना भावनपुर, जिला मेरठ से सम्बन्धित है व अपराध की प्रकृति समान है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त सत्र परीक्षण का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार स्थानांतरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

स्थानांतरण प्रार्थनापत्र संख्या 657/2026 व स्थानांतरण प्रार्थनापत्र संख्या 671/2026 स्वीकार किये जाते हैं।

सत्र परीक्षण संख्या 629/17 व 630/2017 सरकार बनाम इरशाद की पत्रावलियाँ जो वर्तमान समय में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, मेरठ के न्यायालय में विचाराधीन है, को वापस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय मुख्य (CAW), मेरठ के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

तदनुसार स्थानांतरण प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाते हैं। उक्त आदेश की पत्रावलियाँ उक्त दोनों पत्रावली पर रखी जाये।

इस आदेश की एक–एक प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक 22.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

Digitally signed by ARVIND KUMAR MISHRA
Date: 2026.07.22 16:50:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court